[20/12/2022]

(6)

परिशिष्ट-1

प्रश्न सं. [क्र. 508]

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल–462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 08 अगस्त, 2022

क्रमांक एफ 16–19/2022/1/34, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत स्थाई वर्गीकृत कर्मचारियों द्वारा सातवें वेतनमान दिए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर एवं इन्दौर में समय–समय पर दायर याचिकाओं एवं अवमानना प्रकरणों में पारित निर्णय के पालन में मंत्रि–परिषद आदेश आयटम क्रमांक 31 दिनांक 02 अगस्त, 2022 के पालन में निम्नानुसार अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 रामनरेश रावत विरूद्ध श्री अश्विनी राय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 के कम में विभिन्न पदों में किए गए स्थाई वर्गीकृत कर्मचारियों को सातवां वेतनमान प्रदान करते हुए, सातवें वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) का लाभ माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.2016 से प्रदान करने की अनुमति तथा समय–समय पर होने वाले वेतन पुनरीक्षण के तहत लागू किये गये वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) स्थायी वर्गीकृत कर्मचारियों को प्रदान किये जाने की अनुमति दी जाती है।

2. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत, विभिन्न पदों पर किए गए स्थाई वर्गीकृत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) दिए जाने पर मासिक रूपये 44.41 लाख का भुगतान करने की एवं स्थाई वर्गीकृत कर्मचारियों को दिनांक 15.12.2016 से दिनांक 30.07.2022 तक सातवें वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) दिए जाने पर एरियर्स लगभग रूपये 24.19 करोड़ का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राकेश कुशरे) 08/08/2022
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

EE(NG)
12/8/22